कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/वरि/के–1/द्विवेश्रृ वर्किंग/2021 दिनांकः–14.02.2022

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा विभाग।

विषयः– द्वितीय श्रेणी अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापकों) की गत वर्षों की वरिष्ठता सूचियों में स्नातक स्तर पर अध्ययन किए विषयों के नाम अंकित करवाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों (वरिष्ठ अध्यापकों) के विभिन्न वर्षों की वरिष्ठता सूचियों में योग्यता अभिवृद्धि आदेशों में स्नातकोत्तर का अंकन करते समय कई बार उनकी सम्बन्धित वरिष्ठता सूची में स्नातक विषयों का अंकन नहीं किया जाता है। नवीन शिक्षा सेवा नियमों में स्नातक विषयों के अभाव में पदोन्नति हेतु उनकी पात्रता का निर्धारण संभव नहीं हो पाता है। अतः कार्यालय स्तर पर गत वर्षों की समस्त वरिष्ठता सूचियों की जांच कर जिन कार्मिकों के स्नातक स्तर पर विषय अंकित नहीं हैं, उनके स्नातक विषयों का अंकन कर आदेश इस कार्यालय को शीघ्रताशीघ्र सॉफ्ट–कॉपी एवं हार्ड–कॉपी में भिजवाएं एवं आगामी योग्यता अभिवृद्धि आदेशों में भी यह ध्यान रखा जावे की सम्बंधित कार्मिक के स्नातक स्तर के विषयों का अंकन कर दिया गया है।

यह भी दृष्टिगत हो रहा है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विषयों में विषय जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान के स्थान पर जीव विज्ञान अंकित कर दिया जाता है, जबकि उक्त स्तरों पर सामान्यतया जीव विज्ञान विषय नहीं होता है। जीव विज्ञान के स्थान पर जन्तु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान अथवा दोनों, जो भी विषय रहा हो, का परीक्षणोपरान्त अंकन करते हुए संभाग स्तरीय संशोधन आदेश तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

यह भी देखा गया है कि विज्ञान विषय में स्नातक को भी कई बार बी.एससी. के स्थान पर बी.ए. अंकित कर दिया जाता है। कला विषय से उत्तीर्ण स्नातकोत्तर को एम.एससी. अंकित कर दिया जाता है, जो कि प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार की समस्त त्रुटियों की जांच एवं समुचित परीक्षण आप अपने स्तर पर करके परिशुद्ध आदेश इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

संभाग स्तर से जारी किए जाने वाले नवीन नामांकन, विलोपन, योग्यता अभिवृद्धि एवं संशोधन आदेशों के अवलोकन से यह भी देखने में आया है कि कई बार एक ही नाम का दोहरान बाद में जारी होने वाले आदेशों में भी हो जाता है। यह ध्यान रहे कि किसी भी

कार्मिक से सम्बन्धित आदेश एक बार ही जारी किये जावें एवं एक ही आदेश की पुनरावृत्ति कदापि न की जाए, इसकी सुनिश्चितता करें। बार–बार जारी आदेशों में सबसे पहले जारी आदेश को मूल आदेश माना जाकर पश्चात्वर्ती प्रसारित अनावश्यक आदेशों को तत्काल प्रत्याहरित करके प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

उपर्युक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाने की सुनिश्चितता करें।

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. उप निदेशक (डी.पी.सी), कार्यालय हाजा।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी–(मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारंभिक।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते